माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

परीक्षा 2016 की उत्तर–पुस्तिका की प्रति ऑनलाईन प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र

1. परीक्षा का नाम (मा./उ.मा.).. [ ]

2. परीक्षार्थी का नामांक.. [| | | | | | |]

3. परीक्षार्थी का नाम.. [ ]

4. पिता का नाम.. [ ]

5. आवेदित विषय :–

क्र.सं.	उ.पु. की विषय का नाम मय सैद्धान्तिक अथवा प्रायोगिक
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

6. पहचान हेतु सत्यापित आई.डी. संलग्न करें :–
   (कोई एक प्रवेश–पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड)

1	प्रवेश–पत्र	
2	आधार कार्ड	
3	पैन कार्ड	
4	वोटर कार्ड	

7. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता

पिनकोड –

8. मोबाईल नम्बर [| | | | | | | | |]

9. ई–मेल आई.डी. [ ]

नोट :– उत्तर–पुस्तिका की प्रति एवं आवेदक की आपत्तियों का निस्तारण ऑनलाईन ही किया जावेगा। अतः आवेदक अपना ही मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. आवश्यक रूप से देवें।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना/विवरण मेरी पूर्ण जानकारी अनुसार पूर्णतया सही है। मैंने स्वयं ने परीक्षा दी है एवं मुझे उत्तर–पुस्तिका की संवीक्षा उपरान्त स्कैन प्रति की आवश्यकता है। मैनें किसी अन्य अभ्यर्थी के लिये आवेदन नहीं किया। मैंने नियमों/निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर ही आवेदन किया है जिन्हें स्वीकार करती/करती हूँ।

परीक्षार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत आई.डी. का मूल से सत्यापन कर लिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

हस्ताक्षर कियोस्क धारक

संवीक्षा/उत्तर–पुस्तिका की प्रति ऑनलाईन प्राप्त करने के नियम/निर्देश

1. **आवेदन प्रक्रिया–** अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र (बोर्ड वेबसाईट www.rajeduboard.nic.in पर उपलब्ध) भरकर नियत तिथि तक उसके साथ स्वप्रमाणित आई.डी. संलग्न कर ई–मित्र कियोस्क केन्द्र पर प्रस्तुत करेंगे।
2. उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय की मुख्य परीक्षा एवं पूरक परीक्षा में उत्तर–पुस्तिकाओं की संवीक्षा उपरान्त प्रति ऑनलाईन प्राप्त करने का शुल्क रूपये 300/– प्रति उत्तर–पुस्तिका है।
3. परीक्षार्थी को आवेदन–पत्र के साथ निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त ई–मित्र सेवा चार्जेज रूपये 5/– प्रति विषय अतिरिक्त देने होगें।
4. अभ्यर्थी ई–मित्र. पर आवेदन करने के बाद प्राप्त रसीद में अंकित प्रविष्ठियों की गहनता से जाँच कर लें। कोई त्रुटि हो तो ई–मित्र कियोस्क धारक से संशोधन करावें। ई–मित्र केन्द्र पर आवेदन–पत्र ऑनलाईन पूर्ति कर आवेदन–पत्र को एक वर्ष तक सुरक्षित रखें। बोर्ड को नहीं भिजवावे।
5. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आई.डी. का ई–मित्र केन्द्र स्तर पर सत्यापन किया जावे।
6. आवेदन–पत्र की सभी प्रविष्टियाँ मय मोबाईल नम्बर, ई–मेल आई.डी., पते व पिनकोड के आवश्यक रूप से पूर्ण करें। अपूर्ण आवेदन की स्थिति में परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। उत्तर–पुस्तिका की स्कैन प्रति प्राप्त करने की सूचना उसके आवेदित मोबाईल/ई–मेल पर एस.एम.एस. से सूचित की जावेगी।
7. **अति महत्वपूर्ण–** प्रत्येक परीक्षार्थी को आवेदन हेतु एक ही अवसर मिलेगा। अर्थात् परीक्षार्थी संवीक्षा हेतु एक बार ही आवेदन कर सकेगा। अतः परीक्षार्थी स्वयं भली–भांति सुनिश्चित होकर एक ही आवेदन–पत्र में उन सभी विषयों का उल्लेख करें जिनमें वह संवीक्षा कराना चाहता है। परीक्षार्थी चाहे तो सभी विषयों की संवीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है।
8. परीक्षार्थी स्वयं के लिये ही आवेदन करे। अन्य किसी के लिये आवेदन करना दण्डनीय/आपराधिक माना जावेगा।
9. *संवीक्षा में उत्तर–पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन (Re-evaluation) नहीं किया जाता है। संवीक्षा में उत्तर–पुस्तिका में प्रदत्त अंकों के योग में भिन्नता, अन्दर–बाहर (केजिंग) में भिन्नता, योग में त्रुटि, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिये गये हों, उत्तर–पुस्तिका/अंकतालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता आदि–आदि त्रुटियों का निवारण करने की दृष्टि से की जाती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत् गठित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनियम 1957 के अध्याय 16 नियम (13)(5) अनुसार उत्तर–पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) का प्रावधान नहीं है।*
10. संवीक्षा प्रार्थना–पत्र परिणाम घोषणा तिथि के पन्द्रह दिवस की अवधि में किसी भी निकटतम ई–मित्र कियोस्क केन्द्र पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन–पत्र का प्रारूप बोर्ड की वेबसाईट www.rajeduboard.nic.in पर उपलब्ध है। **डाक से प्रार्थना–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।** यदि परिणाम 16 मई को घोषित होता है तो अंतिम दिनांक 31 मई होगी। **आवेदन–पत्र मय शुल्क के ई–मित्र कियोस्क केन्द्र पर अंतिम तिथि तक ही स्वीकार किये जायेंगे। उसके पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।**
11. प्राप्त सभी आवेदन–पत्रों का निस्तारण क्रमानुसार किया जायेगा। इसमें लगने वाले यथोचित समय के लिये आवेदक कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहेगा।
12. परीक्षार्थियों को ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् SMS द्वारा उसके प्रार्थना–पत्र में अंकित मोबाईल नम्बर पर पावती व पंजीकरण की सूचना दी जावेगी। परीक्षार्थी के आवेदन पत्रानुसार विषयों की उत्तर–पुस्तिका बोर्ड वेबसाईड पर अपलोड कर उसे SMS द्वारा लिंक कोड उपलब्ध करवाया जावेगा जिससे परीक्षार्थी अपनी उत्तर–पुस्तिका ऑनलाईन देखने के साथ डाउनलोड/प्रिन्ट भी कर सकेंगे।
13. उत्तर–पुस्तिका की स्कैन प्रति ऑनलाईन प्राप्त होने के बाद यदि परीक्षार्थी को संवीक्षा नियमान्तर्गत कोई आपत्ति हो तो 10 दिवस में मय विवरण ऑनलाईन आपत्ति वेबसाईट पर निर्धारित लिंक पर प्रस्तुत कर दे। निर्धारित अवधि 10 दिन विगत होने के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
14. उत्तर–पुस्तिका उपलब्ध होने पर ही आवेदन–पत्र पर कार्यवाही की जावेगी। यदि कतिपय कारण से उत्तर–पुस्तिका उपलब्ध नहीं हुई तो कार्य समाप्ति पर प्राप्त शुल्क अथवा आंशिक उत्तर–पुस्तिका उपलब्ध नहीं होने पर आंशिक प्राप्त शुल्क लौटा दिया जावेगा। इस हेतु आवेदक किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहेगा। परीक्षार्थी द्वारा आवेदित विषयों की उत्तर–पुस्तिका उपलब्ध कराई जावेगी। अतः परीक्षार्थी विषयों का चयन ध्यानपूर्वक करें।
15. आवेदित उत्तर–पुस्तिका में अंक परिवर्तित अथवा अपरिवर्तित रहने की स्थिति में शुल्क किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जायेगा।
16. **यदि परीक्षार्थी पूरक परीक्षा के योग्य घोषित किया गया है तो उसे पूरक परीक्षा के लिये (संवीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा किये बगैर) निर्धारित अवधि में आवेदन कर देना चाहिये।**
17. संवीक्षा के फलस्वरूप आवेदक की आपत्ति पर बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और विवादास्पद स्थिति में न्यायक्षेत्र अजमेर होगा।
18. परीक्षार्थी को आवेदन–पत्र के साथ मूल अंकतालिका/इन्टरनेट से प्राप्त अंकतालिका की प्रति संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,
अजमेर